


कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

कमांक/
प्रति,

1685 / स.अ.भू.अ. / 2019

रायगढ़ दिनांक 20 / 12 / 2019

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर(छ.ग.)

विषय:-

220/130 के०व्ही० उपकेन्द्र गोरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी०एस०एस० कारीछापर तक लग 45 कि.मी. 132 के०व्ही० डी०सी० एस० लाईन निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण एवं प्रदर्स 'स' तथा फार्म-1 में प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

संदर्भ:-

छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र कमांक का.अ./अ.उ.दा./निर्माण/संभाग 416 बिलासपुर दिनांक 31.07.2019।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के०व्ही० उपकेन्द्र गोरवानी में प्रस्तावित टी०एस०एस० कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि जो तहसील रायगढ़ के ग्राम पाली, देलारी कक्ष कमांक 881 कुल प्रभावित रकबा 1.723 हे. राजस्व वनभूमि जो अभिलेख में छोटेझाड़, घांस व आरक्षित वन भू में है। उक्त शासकीय भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लिनियर प्रकरण हेतु प्रदर्स 'स' एवं निर्धारित फार्म-1 में जानकारी चाही गई है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ के द्वारा विवरण प्रारूप में जानकारी प्रदाय की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीस राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को 220/130 के०व्ही० उपकेन्द्र गोरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी०एस०एस० कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के०व्ही० डी०सी० एस० लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 1.723 हे. के संबंध में प्रदर्स 'स' तथा लिनियर प्रकरण हेतु प्रारूप फार्म-1 में जानकारी तैयार कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ. कमांक/
प्रतिलिपि:-

1685 / स.अ.भू.अ. / 2019

रायगढ़ दिनांक


कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)
/ / 20

1. वन मंडलाधिकारी वन मंडल रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

FORM-1
(for linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh

No

Date

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that (CSPTCL, Bilaspur) of forest land end total **02 kh.no.(total affected area 1.723 Hact.) Total 1.723 Hact.** Revenue forest land one forest land proposed to be diverted in favour of CSPTCL, Bilaspur for diversion of Forest Land in Raigarh / Pusour Tehsil it is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the total **02 Kh.No. and one forest compartment 1.723** hectares (CSPTCL, Bilaspur) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....}.....to.....**3**.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

(Yashwant kumar)
District Collector
Raigarh



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक/ 1688 /स.अ.भू.अ./2019
प्रति,

रायगढ़ दिनांक / /2019

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/व.स.अ.)
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर(छ.ग.)

विषय:- 220/130 के०व्ही० उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी०एस०एस० कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के०व्ही० डी०सी० एस० लाईन निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रदर्स 'स' तथा फार्म-1 में प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।
संदर्भ:- छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र क्रमांक का.अ./अ.उ.दा./निर्माण/संभाग/416 बिलासपुर दिनांक 31.07.2019।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के०व्ही० उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी०एस०एस० कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि जो तहसील खरसिया जिला रायगढ़ के ग्राम विंजकोट वन कक्ष क्रमांक 1183 आर. एफ. कुल प्रभावित रकबा 0.985 हे. राजस्व वनभूमि है। उक्त शासकीय भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लिनियर प्रकरण हेतु प्रदर्स 'स' एवं निर्धारित प्रारूप फार्म-1 में जानकारी चाही गई है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया के द्वारा विहित प्रारूप में जानकारी प्रदाय की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को 220/130 के०व्ही० उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी०एस०एस० कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के०व्ही० डी०सी० एस० लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 0.985 हे. के संबंध में प्रदर्स 'स' तथा लिनियर प्रकरण हेतु प्रारूप फार्म-1 में जानकारी तैयार कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्रमांक/ 1688 /स.अ.भू.अ./2019
प्रतिलिपि:-

रायगढ़ दिनांक / /2019

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

1. वन मंडलाधिकारी वन मंडल रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को सूचनार्थ ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

FORM-1
(for linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh

No

Date 20/12/19**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that (CSPTCL, Bilaspur) of forest land end total affected area **0.985 Hect.** Revenue forest land one forest land proposed to be diverted in favour of **CSPTCL, Bilaspur** for diversion of Forest Land in **Binjkot** Tehsil Kharsia it is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the total and one forest compartment **0.985 hectares** (CSPTCL, Bilaspur) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....1.....to.....2.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

(Yashwanth kumar)
District Collector
Raigarh



कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक /
प्रति

1684

/स.अ.भू.अ./ 2019

रायगढ़ दिनांक 20/12/2019

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध/व.स.अ.)

अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड
रायपुर(छ.ग.)

विषय:-

220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के0व्ही0 डी0सी0 एस0 लाईन निर्माण कार्य हेतु राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रदर्स 'स' तथा फार्म-1 में प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

संदर्भ:-

छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित बिलासपुर का पत्र क्रमांक का.अ./अ.उ.दा/निर्माण/समाप्त/416 बिलासपुर दिनांक 31.07.2019।

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर द्वारा 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी में प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि जो तहसील तमनार एवं घरघोड़ा के ग्राम सराईपाली, भुईकुर्सी, हर्राडीह, छर्राटांगर, अमलीडीह, बैहामुड़ा, टेरम, फगुरम, तथा 829 (आर.एफ.) तमनार एवं 1260 (पी.एफ.) घरघोड़ा कुल प्रभावित रकबा 4.303 हे. राजस्व वनभूमि जो अभिलेख में छोटेझाड़, घांस व आरक्षित वन मद में दर्ज है। उक्त शासकीय भूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लिनियर प्रकरण हेतु प्रदर्स 'म' एवं निर्धारित प्रारूप फार्म-1 में जानकारी चाही गई है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा के द्वारा विहित प्रारूप में जानकारी प्रदाय की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुविभागीय अधिकारी(रा.) घरघोड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को 220/130 के0व्ही0 उपकेन्द्र गेरवानी से मेसर्स इरकान हेतु प्रस्तावित टी0एस0एस0 कारीछापर तक लगभग 45 कि.मी. 132 के0व्ही0 डी0सी0 एस0 लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित रकबा 4.303 हे. के संबंध में प्रदर्स 'स' तथा लिनियर प्रकरण हेतु प्रारूप फार्म-1 में जानकारी तैयार कर आगकी और सादर सम्प्रेषित है।

संदर्भ:-उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर

रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक /
प्रति

1684 A

/स.अ.भू.अ./ 2019

रायगढ़ दिनांक

20/12/2019

1. वन मंडलाधिकारी वन मंडल रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित बिलासपुर को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)

(for linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Raigarh

No

Date 20/12/19

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that (CSPTCL, Bilaspur) of forest land end total 22 kh.no. (total affected area 4.303 Hact.) Total 4.303 Hact. Revenue forest land proposed to be diverted in favour of CSPTCL, Bilaspur for diversion of Forest Land in Gharghoda Tahsil Village Chharratagar, Amidih, Bhaimuda, Teram, Faguram, Tamnar Tahsil Village Saraipali, Bhuikuri, Harradih It is further certified that :-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the total 22 Kh.No. and one forest compartment 4.303 hectares (CSPTCL, Bilaspur) of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.....}.....to.....L}.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

(Yashwanth kumar)
District Collector
Raigarh